



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274828
CG-DL-E-27072026-274828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3921]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3921]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4091(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, नूंह (मेवात) के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 5.200 से कि.मी. 25.200 तक; जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.600 से कि.मी. 5.200 तक; जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.600 तक; तथा जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.800 तक, हरियाणा राज्य में 4-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH- 919 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7																		
1	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 5.2 से कि.मी 17.1 तक	हरियाणा	नूंह (मेवात)	तावडू	<table><tr><td>1</td><td>जौरासी (32)</td></tr><tr><td>2</td><td>राठीवास (34)</td></tr><tr><td>3</td><td>रंगाला (35)</td></tr><tr><td>4</td><td>सुनारी (40)</td></tr><tr><td>5</td><td>चून्धिका</td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>कलारपुरी (42)</td></tr><tr><td>8</td><td>गोगजाका (75)</td></tr><tr><td>9</td><td>तावडू</td></tr></table>	1	जौरासी (32)	2	राठीवास (34)	3	रंगाला (35)	4	सुनारी (40)	5	चून्धिका	6		7	कलारपुरी (42)	8	गोगजाका (75)	9	तावडू
1	जौरासी (32)																							
2	राठीवास (34)																							
3	रंगाला (35)																							
4	सुनारी (40)																							
5	चून्धिका																							
6																								
7	कलारपुरी (42)																							
8	गोगजाका (75)																							
9	तावडू																							
2	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 0 से कि.मी 0.6 तक	हरियाणा	गुरुग्राम	पटौदी	<table><tr><td>1</td><td>बोहरा कलां</td></tr></table>	1	बोहरा कलां																
1	बोहरा कलां																							
3	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 0.6 से कि.मी 5.2 तक	हरियाणा	गुरुग्राम	मानेसर	<table><tr><td>1</td><td>बहोरा खुर्द (136)</td></tr><tr><td>2</td><td>सिधरावली (139)</td></tr><tr><td>3</td><td>राठीवास (140)</td></tr><tr><td>4</td><td>दिनोकरी (141)</td></tr></table>	1	बहोरा खुर्द (136)	2	सिधरावली (139)	3	राठीवास (140)	4	दिनोकरी (141)										
1	बहोरा खुर्द (136)																							
2	सिधरावली (139)																							
3	राठीवास (140)																							
4	दिनोकरी (141)																							
4	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 0 से कि.मी 1.8 तक	हरियाणा	रेवाड़ी	धरुहेरा	<table><tr><td>1</td><td>धारुहेड़ा</td></tr><tr><td>2</td><td>कापड़ीवास</td></tr><tr><td>3</td><td>घाटल मेहनियावास</td></tr></table>	1	धारुहेड़ा	2	कापड़ीवास	3	घाटल मेहनियावास												
1	धारुहेड़ा																							
2	कापड़ीवास																							
3	घाटल मेहनियावास																							

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4091(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 5.2 to 25.2 of DRO Office, Nuh (Mewat) (NH- 919), 0.600 to 5.2 of DRO office, Gurugram (NH- 919), 0 to 0.600 of DRO office, Gurugram (NH- 919), 0 to 1.8 of DRO Office, Rewari (NH- 919) in the State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH- 919 in the State of HARYANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Revenue Officer	NH- 919 KM 5.2 TO KM 17.1	HARYANA	NUH (MEWAT)	Taoru	1 Jaurasi (32) 2 Rathiwas (34) 3 Rangala (35) 4 Sunari (40) 5 Chundhika 6 Nizampur (43) 7 Kalarpuri (42) 8 Gogjaka (75) 9 Taoru
2	District Revenue Officer	NH- 919 KM 0 TO KM 0.6	HARYANA	Gurugram	Pataudi	1 Bohara Kalan
3	District Revenue Officer	NH- 919 KM 0.6 TO KM 5.2	HARYANA	Gurugram	Manesar	1 Bahora Khurd(136) 2 Sidhrawali(139) 3 Rathiwas(140) 4 Dinokari(141)
4	District Revenue Officer	NH- 919 KM 0 TO KM 1.8	HARYANA	REWARI	Dharuhera	1 Daruhera 2 Kapriwas 3 Ghatal Mehniawas

[F. No. PWD/PSR/919/Taoru/001]

SHAIKH AMINKHAN, Director